(लक्ष्मी शर्मा)
सहायक कलेक्टर प्रथम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी व्यक्ति मजदूरी करता है। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य है। उसके परिवार में पत्नी एवं दो नाबालिग बच्चे हैं। वह किराये के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उसकी आय अत्यंत सीमित है। उसके पास न तो कोई स्थायी आय का साधन है और न ही कोई चल-अचल संपत्ति है। वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है।

01/12/19